(1)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी नि म 3096-I/16 सन्

रमेश तनय मैयादीन ब्राम्हण निवासी ग्राम पथरगुवाँ

हाल निवासी ग्राम बमीठा तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

बनाम

नत्थुवा तनय भूरा ढीमर निवासी पथरगुवाँ

तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म0प्र0) ......उत्तरवादी

निगरानी प्र0क्र0 31/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2016 से दुखित होकर

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित आवेदन पत्र निगरानी बावत् प्रस्तुत करता है :–

(1) यह कि भूमि ख0नं0 1 रकवा 1.643 हे0 ख0 नं0 2 रकवा 1.126 कुल किता 2 रकवा एकत्र 2.769 हे0 लगानी स्थिति ग्राम पथरगुवाँ तहसील राजनगर की आराजी है जिसके मालिक व कब्जेधारी आवेदक के पूर्वज रहे हैं।

(2) यह कि उक्त आराजी अनावेदक को सन् 01.07.1972 से 30.06.1977 तक शासकी पट्टे पर प्रदान की गयी पर अनावेदक हमेशा दिल्ली में रहकर शासकीय सेवक रहा और उसने पट्टे पर प्राप्त भूमि पर कभी खेती नहीं की न पट्टे की शर्तों का पालन किया है।

(3) यह कि अनावेदक द्वारा 119/अ6अ/12–13 नायब तहसीलदार के समक्ष रिकार्ड सुधार बावत् प्रस्तुत किया जिसके विरूद्ध आवेदक निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण 85/बी–121/14–15 अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2015 को आदेश पारित कर जारी किया गया पट्टा निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अपील अपर कलेक्टर के समक्ष उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 31/अपील/15–16 दर्ज की गयी। निगरानीकर्ता को तलब किया गया तो निगरानीकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकारिता की आपत्ति की गयी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति दिनांक 27.08.2016 को निरस्त की है जिसके विरूद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाने की आवश्यकता निगरानीकर्ता को हुई है।

क्रमशः 2

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3096-एक/2016 जिला छतरपुर रमेश विरूद्ध नत्थुवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-07-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक श्री रमेश के अभिभाषक श्री चंद्रेश श्रीवास्तव एवं अनावेदक नत्थुवा की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक को पूर्व में दिनांक 22-06-2018 को सुना गया था । 3. निगरानीमर्ता रमेश तनय मैयादीन के द्वारा अपर कलेक्टर के अंतरिम आदेश दिनांक 27/08/2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है । निगरानीकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रकरण में मुख्य आपत्ति यह ली गई है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) की कंडिका 30 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय को भूमि आंबटन के मामले में अपील/रिवीजन सुनने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आपत्ति को निरस्त करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । 4. प्रकरण का सार इस प्रकार है कि वर्ष 1972 में उक्त भूमि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पट्टे पर आबंटित की गई थी । वर्ष 2014 में निगरानीकर्ता रमेश की शिकायत पर जांच करने पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनावेदक का कब्जा पाये नहीं जाने एवं खेती न करने के कारण अनावेदक नत्थुवा का पट्टा निरस्त किया जाकर भूमि शासकीय दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 27-11-2015 को पारित किये । उक्त आदेश से पीड़ित होकर अनावेदक नत्थुवा के द्वारा न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में अपील पेश की । उक्त अपील के अंतर्गत रमेश तनय मैयादीन के द्वारा आपत्ति रखी गई कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) की कंडिका (30) के अनुसार कलेक्टर को अपील/रिवीजन सुनने का अधिकार नहीं है, जिसे अधीनस्थ	

1/3

न्यायालय ने निरस्त करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया ।

5. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 85/बी-121/14-15 में पारित आदेश दिनांक 27-11-15 का अवलोकन किया गया । आदेश का ओपेरेटिंग पैरा इस प्रकार है ।

" प्रकरण में संलग्न नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अनावेदक ग्राम में निवास नहीं करता है तथा उपरोक्त भूमिओं पर अनावेदक का कब्जा भी नहीं है, अनावेदक द्वारा अपनी उसी भूमि का एक मुख्तयार नामा अन्य व्यक्ति को दिया गया है जिसमें लेख किया गया है कि वह उसकी ओर से प्रश्नगत भूमि को विक्रय कर सकता है, जब अनावेदक प्रश्नगत भूमि का स्वामी ही नहीं है तब उसे ऐसी स्थिति में मुख्तयार नामा देने का अधिकार नहीं है वह स्वयं भी भूमि को विक्रय करने की अधिकारिता रखता, अनावेदक न तो ग्राम पथरगुवां में निवास करता है और न ही उसका प्रश्नगत भूमि पर कब्जा ही है अनावेदक दिल्ली में निवास करता है तथा दिल्ली के पते पर उसका परिचय पत्र जारी है । अनावेदक द्वारा पट्टे की शर्त क्रमांक 12 का उल्लंघन किया गया है, नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से यह प्रमाणित है कि अनावेदक के द्वारा पट्टा प्राप्ति के बाद खेती नहीं की गई है । पट्टेदार द्वारा उसे प्रदान किये गये पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई है । उसे प्रदाय पट्टे की शर्त क्रमांक 14 में लेख किया गया है कि :-

यदि पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अलाटमेंट अधिकारी को यह समाधान जाये कि निबन्धी और शर्तों का पालन किया गया है और कम से कम 75 प्रतिशत भूमि पर खेती की गई है तो वह मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में दी गई परिभाषा के अनुसार भूमि स्वामी अधिकार दे देगा फार्म "उ" में एक पट्टा देगा यदि भूमि का पूर्ण विकास पांच वर्ष से पहले ही कर लिया जावे और उस पर खेती की जाने लगे तो राज्य शासन के आदेशों के अधीन की भूमि स्वामी अधिकार दिये जा सकेगें, यदि भूमि स्वामी अधिकार पांचवे वर्ष समाप्त होने तक नहीं दिया गया तो पट्टा समाप्त हो जायेगा किंतु कलेक्टर का समाधान हो जाने पर यह उपयुक्त मामलों में पट्टे की अवधि बढा सकेगा ।"

2/3

अनावेकद द्वारा न तो पट्टे से प्राप्त भूमि पर खेती की गई है और न ही उसे पांचवे वर्ष की समाप्ति तक भूमि अधिकार दिये गये हैं इसके विपरीत उसके द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।

अत: अनावेदक को प्रदान किया गया पट्टा खारिज किया जाता है तथा विवादित भूमि को शासकीय घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

6. अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता नत्थुवा को पूर्व में आबंटित भूमि के पट्टे की निरस्ति उसके द्वारा पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के कारण की गई है, जिसके विरूद्ध राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 क्रमांक (3) की कंडिका (30) में उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है । अत: यह निगरानी आवेदन इसी स्तर पर समाप्त किया जाकर कलेक्टर न्यायालय की आगे की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है ।

3/3

सदस्य 23.7.18